IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राजनीति में नारी की भागीदारी

बबीता नागर

शोधार्थी

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

डॉ. सुनीता मीना

शोध निर्देशक एवं प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान

बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर

सार

राजनीति में नारी की भागीदारी एक लम्बा संघर्ष है भले हम यह सोचकर खुष होते रहे कि हमारी महिलाएँ प्लेन उड़ा रही है, चाँद पर पहुँच गई है, ओलम्पिक मेडल जीत रही है राष्ट्रपति बनकर देष की बांगडोर सम्भाल रही है लेकिन हकीकत पर गौर करे तो यह आधी आबादी का बहुत छोटा हिस्सा है। आधी आबादी आज भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रयासरत है।

मुख्य शब्दः नारी, राजनीति, प्रतिनिधित्व, सहभागिता।

"यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" मनुस्मृति की यह प्रसिद्ध उक्ति नारियों के महत्व को प्राचीनकाल से ही बखुबी बयान करती है। शायद देवत्व की इसी भावना के तहत प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं का विषेष स्थान प्राप्त था, वही मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में भी कबीलों की मुखिया महिला ही रही है। आज भी कुछ आदिवासी समाजों में महिलाओं की प्रमुखता परिवार में देखी जा सकती है। धीरे–धीरे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की भूमिका गौण होती चली गई या यूं कहे लुप्त ही हो गई। 19वीं सदी के पुर्नजागरण काल के प्रारम्भ में अनेक समाज सुधारकों द्वारा स्त्री–उत्थान पर जोर दिया गया।

राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का पदार्पण बीसवीं सदी से माना जाता है, 1917 का वर्ष भारतीय नारी की राजनीतिक भूमिका में प्रथम महत्वपूर्ण वर्ष या जब महिलाओं के अधिकारों की माँग उठायी गई। भारत में महिलाओं की स्थिति हमेषा एक सम्मान नहीं रही, समय–समय पर इसमें बदलाव आता रहा है। राजनीति में महिलाओं की भूमिका बतौर शासक होने के प्रमाण हमें क्षेत्रीय सत्ताओं में ही मिले है लेकिन केन्द्रीय स्तर पर सत्ता में पहली दमदार महिला हमें गुलाम वंष की शासक रजिया सुल्तान के रूप में मिलती है जिसे उसके पिता इल्तुमिष ने योग्य पुरुष उत्तराधिकारी न होने के कारण राजगद्दी सौंपी थी रजिया के बाद सदियों तक भारत का केन्द्रीय शासन किसी स्त्री को नहीं मिला, न हीं उसे कोई उच्च पद दिया गया।

वर्ष 1917 में उठाई गई माँग के फलस्वरूप 1919 में महिलाओं को सीमित मताधिकार प्रदान किया गया और 1926 में एक और कदम उठाया जब महिलाओं को प्रान्तीय विधानसभाओं में चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। पहली बार श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय ने चुनाव लड़ा, हालांकि वे हार गई, लेकिन हार का अन्तर कम होने के फलस्वरूप उस समय महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में एक नई दिषा मिल गई और इसीलिए मनोनयन के आधार पर डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी को पहली महिला विधायक के रूप में चुनी गई और फिर वे विधानसभा का उपाध्यक्ष भी चुन ली गई।

संविधान निर्माण में भी 389 सदस्यों में से 15 महिला सदस्य अमू स्वाभीनाथन, दुर्गाबाई देषमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, रेनुका रे, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित आदि थी जिनका संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था।

स्वतन्ता के बाद पहली केन्द्र सरकार नेहरू सरकार के पास 20 केबिनेट मंत्रालयों में केवल एक महिला राजकुमारी अमृत कौर थी, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। इसके पष्चात् भारतीय राजनीति में इंदिरा गाँधी का बड़ा नाम है जिन्होंने देष की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में देष के लोगों पर गहरी छाप छोड़ी।

वैसे तो भारतीय राजनीति में महिलाओं की अहम् भूमिका रही है, लेकिन राजनीति में महिलाओं का दूसरा पक्ष भी है, महिलाओं द्वारा इतनी उच्च उपलब्धियों को हासिल करने के बाद भी महिलाओं का शासन एवं नीति–निर्माण प्रक्रिया में बहुत कम योगदान रहता है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रकाषित एक रिपोर्ट के आधार पर संसद के कुल सदस्यों में 10.5 प्रतिषत प्रतिनिधित्व महिलाये करती है। जबकि राज्य विधानसभाओं में यह नेतृत्व मात्र 9 प्रतिषत ही है। स्वतन्त्रता के बाद से सार्वभौमिक मताधिकार के बाद भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व आनुपातिक रूप से कम है। वर्ष 2004 तक प्रतिनिधित्व 5–10 प्रतिषत के मध्य रहा जो वर्ष 2014 में अल्प मात्रा में बढ़कर 12 प्रतिषत हो गया।

राजस्थान में राजनीतिक भागीदारी

यदि हम राजस्थान में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की बात करे तो यह नाममात्र की ही रही है क्योंकि राजस्थान में हमेषा से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है जिसमें स्त्रियों को पुरुषों पर आश्रित माना जाता रहा है, जैसे पुत्री पिता पर, पति पत्नि पर, माँ पुत्र पर। इसलिए परम्परागत रूप से अधिकांष महिलाएँ राजनीति में भाग नहीं लेती थी।

राजस्थान में महिलाओं में राजनीतिक जागृति की कमी पर टिप्पणी करते हुये 31 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने अफसोस जताते हुए कहा था कि– मुझे देखकर बड़ी हैरत हुई कि 160 सदस्यों वाले सदन में महिला विधायक सिर्फ एक है। हमें उन्हें आगे लाना होगा। उस समय एक मात्र महिला विधायक यषोदा देवी थी, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर बांसवाड़ा क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुई थी। इसके बाद 6 नवम्बर 1954 को हुए उपचुनाव में कमला बेनीवाल भी विजयी होकर शामिल हो गई।

राजस्थान विधानसभा में उम्मीदवार व प्रतिनिधि के रूप में महिलाओं की भागीदारी

वर्ष	कुल सीट	कुल सदस्य उम्मीदवार	महिला उम्मीदवार की संख्या	महिला उम्मीदवार प्रतिषत	महिला प्रतिनिधियों की संख्या	महिला प्रतिनिधियों का प्रतिषत
1952	160	753	4	0.63	–	–
1957	176	653	21	3.21	9	6.42
1962	176	890	14	1.57	8	4.55
1967	184	892	11	1.23	6	3.26
1972	200	875	17	1.94	4	2.17
1977	200	1156	32	2.77	7	3.50
1980	200	1406	31	2.20	10	5.00
1985	200	1485	45	3.03	16	8.00
1990	200	3088	93	3.01	11	5.50
1993	200	3088	96	3.11	9	4.52
1998	200	1436	69	4.81	14	7.00
2003	200	1541	118	7.66	12	6.00
2008	200	2195	155	7.06	25	12.25
2013	200	2087	166	7.95	28	14.00
2018	200	2774	187	6.74	22	11.00

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी तो बढ़ी है किन्तु पुरुषों की तुलना में यह अभी बहुत कम है अभी बहुत कुछ करना बाकी है। राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम ही रहा है जिसके लिए भारत ने राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित करने हेतु एक विधेयक पारित किया जो कि एक बड़ा कदम है।

निष्कर्ष

एक महिला की राजनीतिक भागीदारी अनेक रूपों में दिखाई देती है मतदाता से लेकर उम्मीदवारी तक, तो वही सत्ता संभालने में भी अब पीछे नहीं है, कई राज्यों की कमान महिलाओं के हाथ में है। आधी आबादी अब चूल्हे–चौके से बाहर निकलकर राजनीति में भी बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रही है। जो कि एक उम्मीद की किरण जगाती है। कई बरस गुजरने के बाद भी आज महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ महिलाओं की स्थिति को बयान करती है– संसार परिवर्तनषील है यहाँ बड़े–बड़े साम्राज्य ढ़ह गए, संस्कृतियाँ लुप्त हो ई, जातियाँ मिट गई, रीति–रिवाज बदल गए रूढ़ियाँ टूट गई पर स्त्रियों की दषा अपेक्षाकृत नहीं बदली है, जब महिला सषक्तिकरण की बात करते है तो लगता है कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

सुझाव

- लैगिंक भेदभाव को दूर कर षिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया जाये।
- राजनीति में 50 प्रतिषत भागीदारी की जाये
- क्योंकि तेजी से भागते समय में इस नारी रूपी पहिये की रफ्तार बहुत धीमी है।

सन्दर्भ सूची

1. राजस्थान पत्रिका 8 मार्च, 2016
2. डी.डी. बसु भारत का संविधान : एक परिचय, बाधवा एण्ड कम्पनी, नागपुर, 1983
3- https://www.drishtilas.com, hindi
4. भारत निर्वाचन आयोग चुनाव सांख्यिकी, ECI
5. https://www.ecl,nic,in/Accessed on 24 June, 2010 दैनिक भास्कर 1 दिसम्बर, 2013
6. चतुर्वेदी, इनाक्षी एवं अग्रवाल सीमा; "महिला नेतृत्व एवं राजनैतिक सहभागिता", आविष्कार पब्लिषर्स डिस्ट्रीब्युटर्स, जयपुर, 2013